GOVERNMENT OF RAJASTHAN

FINANCE (INSURANCE) DEPARTMENT

1 9 MAY 2022

No. 5(5)FD/Insurance/2020 Jaipur, dated :

NOTIFICATION

Sub: Amendment in the Rajasthan Government Health Scheme.

Ref: Notification of even number dated 09-04-2021.

The Governor has been pleased to make the following amendments in the Rajasthan Government Health Scheme to substitute the following existing paras, namely:-

1. **Substitution of para 1.-** The existing para 1 of the said scheme shall be substituted by the following, namely:-

"The Governor is pleased to introduce a Cashless Health Benefit Scheme hereinafter referred as Rajasthan Government Health Scheme **(RGHS)** to cover indoor medical treatment expenses, specified daycare procedures, outdoor treatment, investigations and medical attendance and treatment under Ayurveda, Homeopathy, Unani Chikitsa Paddhati and other treatment as specified or to be specified by State Government. The scheme will cover compulsorily the Ministers, All India Service Officers, MLAs & Ex-MLAs, Serving Government employees. The medical facilities to the retired judicial service officers shall be governed under Rajasthan Judicial officers (Medical Facility) Rules, 2008 till further order. This scheme will be applicable for the employees and pensioners of Autonomous Bodies, Boards, Corporations etc."

2. **Substitution of para 2.-** The existing para 2 of the said scheme shall be substituted by the following, namely:-

"**2.** The RGHS will cover all the medical facilities as per conditions and procedures laid down under the respective rules / schemes of different categories viz. (i) The Rajasthan Ministers (Medical Attendance) Rules, 1961 (ii) All India Services (Medical Attendance) Rules, 1954 (iii) The Rajasthan Legislative Assembly Members (Medical Facilities) Rules, 1964 (iv) Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members and Family Pensioners (Medical Facilities) Rules, 2010 (v) Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 2013 (vi) Rajasthan State Pensioners' Medical Concession Scheme, 2021. The medical facilities to the retired judicial service officers shall be governed under Rajasthan Judicial officers (Medical Facility) Rules, 2008 till further order."

19/5/2022

3. Substitution of para 3.- The existing para 3 of the said scheme shall be substituted by the following, namely:-

> "**3.** For the employees and pensioners of Autonomous Bodies, Boards, Corporations etc. who have opted for RGHS will be allowed for treatment as per their option given under RGHS."

4. Amendment in para 4.- In para 4 of the said Scheme, the existing expression "rghs.gov.in" shall be substituted by the expression "www.rghs.rajasthan.gov.in".

5. Substitution of para 7.- The existing para 7 of the said scheme shall be substituted by the following, namely:-

> "**7.** Enrollment of beneficiaries under this scheme will start from 10-4-2021 and will be on going process"

6. Substitution of para 8.- The existing para 8 of the said scheme shall be substituted by the following, namely:-

> "The online registration facility for all the categories will be available on RGHS website www.rghs.rajasthan.gov.in along with the procedure to fill such forms. Every persons of above mentioned category will be notified regarding enrollment with Unique RGHS Card Numbers."

7. Amendment in para 9.- In para 9 of the said Scheme, the existing expression "www.rghs.gov.in" shall be substituted by the expression "www.rghs.rajasthan.gov.in" and the existing expression "The procedure and terms and conditions for e-pharma stores will be decided in due course" shall be deleted.

By order of the Governor,

(Sudhir Kumar Sharma)
Secretary to the Government

Copy forwarded to the -

1. Principal Secretary to Hon'ble Governor
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister
3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers
4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/ Secretaries/ Special Secretaries to the Government
5. Senior DS to Chief Secretary
6. Accountant General, Rajasthan, Jaipur
7. All Heads of the Departments
8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur
9. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office
10. All Treasury Officers
11. All Sections of the Secretariat
12. Administrative Reforms (Gr.7)
13. Vidhi Rachana Sanghthan for Hindi translation
14. Technical Director, Finance Department (Computer Cell)
15. Guard File

Copy also to the -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer
4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur

19/5/2022

(Ved Prakash Gupta)
Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.6(10)वित्त(नियम)/2021 पार्ट **जयपुर, दिनांक :** 16 NOV 2021

आदेश

विषय: Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत आउट डोर एवं इन्डोर चिकित्सा के संबंध में।

संदर्भ: वित्त (नियम) विभाग का आदेश क्रमांक प.6(10)वित्त/नियम/2021 पार्ट दिनांक 30–9–2021 एवं 12–10–2021

वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांक 30–9–2021 एवं 12–10–2021 द्वारा कर्मचारियों के चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार तथा चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 22 में उल्लेखित प्रावधान के अन्तर्गत (पेंशनर्स को भी सम्मिलित करते हुए) निर्देश जारी किये गये थे।

उपरोक्त संदर्भित आदेश की निरन्तरता में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :

1. राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना, 2021 के पैरा 5 में निम्नानुसार उल्लेख है:

   "**5. Relaxation in cost ceiling :** The issue of procedure of extension of cost ceiling of drugs and medicines in case of out-door treatment above Rs 20,000/- per annum and tests charges above Rs 5,000/- per annum will be decided in due course."

   पेंशनर्स की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए संदर्भित आदेशों की निरन्तरता में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये औषधियों हेतु अतिरिक्त रुपये 20,000/– एवं जांचों हेतु रुपये 5,000/– की वित्तीय सीमा दिनांक 15–12–2021 तक के लिये कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी को अधिकृत किया जाता है कि वह सिर्फ उन्हीं पेंशनर्स की चिकित्सा सीमा बढ़ा सकेंगे जिन पेंशनर्स के RGHS कार्ड जारी हो चुके हों।

   इस हेतु कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी संबंधित पेंशनर की मेडिकल डायरी में RGHS कार्ड का नम्बर का स्पष्ट लाल स्याही से उल्लेख करते हुए सिर्फ 15–12–2021 तक की आवश्यकता के अनुसार रुपये 20,000/– औषधियों हेतु तथा रुपये 5,000/– की सीमा में रहते हुए बढ़ा सकेंगे। केन्सर रोग हेतु यह वित्तीय सीमा अतिरिक्त रुपये 50,000/– होगी।

2. उपभोक्ता भण्डार / pharma store कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी द्वारा मेडिकल डायरी में लाल स्याही से अंकित RGHS कार्ड नम्बर एवं बढ़ाई गई वित्तीय सीमा के अनुसार सिर्फ RGHS कार्ड धारक को औषधियां दे सकेंगे।

3. **समस्त कोषाधिकारियों / उप कोषाधिकारियों के लिये यह स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं कि वे पेंशनर्स के द्वारा सम्पर्क करने पर चिकित्सा की वित्तीय सीमा को ध्यान में रखते हुए RGHS कार्ड धारक की चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए बिन्दु संख्या 1 के अनुसार अविलम्ब बढ़ायेंगे।**

4. दिनांक 30–9–2021 तक जिला कलक्टर द्वारा बढ़ाई गई चिकित्सा सीमा, दिनांक 31–10–2021 तक कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी द्वारा बढ़ाई गई चिकित्सा सीमा एवं इस आदेश के अनुसार दिनांक 15–12–2021 तक बढ़ाई जाने वाली चिकित्सा सीमा से संबंधित सम्पूर्ण सूचना कोषाधिकारी द्वारा (उप कोषाधिकारियों की इस सूचना को संकलित करते हुए) परियोजना निदेशक, RGHS को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेंगे। दिनांक 31–10–2021 तक बढ़ाई गई चिकित्सा सीमा की सूचना कोषाधिकारियों द्वारा प्रपत्र A पर संलग्न प्रारूप अनुसार दिनांक 22–11–2021 तक परियोजना निदेशक, RGHS को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाये। दिनांक 1–11–2021 से 15–12–2021 तक बढ़ाई गई चिकित्सा सीमा की सूचना दिनांक 17–12–2021 तक परियोजना निदेशक, RGHS को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5. परियोजना निदेशक, RGHS दिनांक 31–10–2021 तक औषधियों एवं जांच की चिकित्सा सीमा संबंधी सूचना को संबंधित पेंशनर के आउट डोर के विवरण में दिनांक 26–11–2021 तक इन्द्राज कराना सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 1–11–2021 से 15–12–2021 की सूचना का इन्द्राज दिनांक 20–12–2021 तक सुनिश्चित किया जावे। जिन प्रकरणों में पेंशनर्स की चिकित्सा सीमा RGHS Portal के माध्यम से बढ़ाई जा चुकी है उसकी सूचना परियोजना निदेशक, RGHS द्वारा RGHS Portal पर दिनांक 31–10–2021 तक की बढ़ाई गई चिकित्सा सीमा को सम्मिलित करते हुए update की जायेगी।

6. जिन पेंशनरों द्वारा दिनांक 31–10–2021 तक चिकित्सा सीमा नहीं बढ़े होने पर भी उपभोक्ता भण्डार के अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के आधार पर लाइसेन्स्ड मेडिकल दुकानों से औषधियां क्रय कर ली हैं उन सभी प्रकरणों को कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी अपने स्तर से इन अनुपलब्धता प्रमाण पत्र तथा क्रय की गई औषधियों के आधार पर जांच कर आवश्यकतानुसार चिकित्सा सीमा बढ़ा सकेंगे। यह बढ़ी हुई चिकित्सा सीमा उपरोक्त सीमा (रुपये 20,000 सामान्य मामलों में एवं रुपये 50,000 कैंसर रोग के मामलों में) के अतिरिक्त होगी, परन्तु यह शिथिलन ऐसे प्रकरणों को नियमित करने हेतु एक बारीय ही होगा। इस हेतु इन निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जायेगी।

7. उपभोक्ता भण्डार एवं pharma store सक्षम स्तर से बढ़ी हुई चिकित्सा सीमा के अनुसार ही औषधियां दे सकेंगे।

8. उपरोक्त मामलों में पेंशनर्स के चिकित्सा दावों का निस्तारण वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30–9–2021 के अनुसार किया जायेगा

9. जिन प्रकरणों में RGHS कार्ड धारक द्वारा Health Care Network Provider (अनुमोदित एवं राजकीय चिकित्सालय) में आउट डोर उपचार कराया है और संबंधित चिकित्सालय द्वारा परामर्श शुल्क अथवा जांच हेतु राशि ली गई है अथवा राज्य के भीतर और बाहर के निजी चिकित्सालयों में इन्डोर रोगी के रूप में RGHS के अन्तर्गत अनुमत अति आवश्यक परिस्थितियों में चिकित्सीय उपचार कराया हो तो ऐसी राशि का संबंधित नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार परीक्षण कर पुनर्भरण RGHS Portal के माध्यम से शीघ्र विकसित किये जा रहे माड्यूल पर किया जा सकेगा।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7 प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी; मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

5/11/21

(एस.ज़ेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(RSR 47 / 2021)

प्रपत्र A

कोषालय का नाम (उप कोषालय का विवरण भी इसी में सम्मिलित करें) :

दवाइयों की चिकित्सा सीमा (इसी प्रपत्र में जांच की सीमा का विवरण भी भरा जाये)

(A) दिनांक 31–10–2021 तक की सूचना :

क. सं.	पेंशनर का नाम	पीपीओ नम्बर	RGHS Card No.	पूर्व में उपलब्ध राशि	दिनांक 30–9–2021 तक जिला कलक्टर के स्तर से बढ़ाई गई चिकित्सा सीमा की राशि	दिनांक 1–10–2021 से 31–10–2021 तक कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी द्वारा बढ़ाई गई राशि	दिनांक 31–10–2021 तक कुल चिकित्सा सीमा राशि (कॉलम संख्या 5, 6 एवं 7 का योग)
1	2	3	4	5	6	7	8

(B) दिनांक 15–12–2021 तक की सूचना :

क. सं.	पेंशनर का नाम	पीपीओ नम्बर	RGHS Card No.	पूर्व में उपलब्ध राशि	दिनांक 30–9–21 तक जिला कलक्टर के स्तर से बढ़ाई गई चिकित्सा सीमा की राशि	दिनांक 1–10–21 से 31–10–21 तक कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी द्वारा बढ़ाई गई राशि	दिनांक 31–10–21 तक कुल चिकित्सा सीमा राशि (कॉलम संख्या 5, 6 एवं 7 का योग)	जिला कलक्टर / कोषाधिकारी की स्वीकृति के बिना NAC के आधार पर क्रय की गई औषधियां	दिनांक 1–11–21 से 15–12–21 तक बढ़ाई गई चिकित्सा सीमा	कुल कॉलम संख्या 8, 9 एवं 10 का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

नोट : जिन प्रकरणों में पेंशनर्स की चिकित्सा सीमा RGHS Portal के माध्यम से परियोजना निदेशक, RGHS द्वारा उक्त आदेश दिनांक 16–11–2021 से पूर्व बढ़ाई जा चुकी है उसका इन्द्राज परियोजना निदेशक, RGHS द्वारा RGHS Portal पर दिनांक 31–10–2021 तक की बढ़ाई गई चिकित्सा सीमा को सम्मिलित करते हुए update की जायेगी। अतः उक्त कॉलम संख्या 10 में परियोजना निदेशक, RGHS आवश्यक इन्द्राज करवा कर कॉलम संख्या 11 को तदनुसार संशोधित कर RGHS Portal पर चिकित्सा सीमा को update करवाएंगे।

(एस. जेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव–II

:\RGHS_Final\RGHS_Order_Hindi.docx